

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 84]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 14 फरवरी 2022—माघ 25, शक 1943

## नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 फरवरी 2022

अधि.क्र. 08 एफ 1-25-2021-अठारह-3 :- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई सारणी में वर्णित ग्राम पंचायत के ग्रामों को मिलाकर नगर परिषद, देवरी का गठन करती है, अर्थात् :-

अनुसूची-एक

देवरी नगर परिषद की परिसीमाओं में सम्मिलित किया गया क्षेत्र

स.क्र.	जिले का नाम	तहसील का नाम	नगर परिषद का नाम	नगरीय क्षेत्र के गठन हेतु सम्मिलित ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
01	रायसेन	देवरी	देवरी	देवरी	देवरी अनघोरी	1714.543
02				बम्होरी देवरी	बम्होरी	487.176
					रोढा	188.604
					करहेया	176.01
					मोहड पपलई	444.946
					बडगवा कलों	142.546
03				बूधनवाडा	बूधनवाडा	658.876
	आल्हनपुर	1074.8				

04				गोरखपुर	गोरखपुर	922.608
05				डुगरियों	डुगरियों जागीर	240.89
					बिलगवां	172.262
					जूनापानी	218.518
					बारखेडी	119.765
					ऊंचाखेडा	385.118

### अनुसूची-दो

अनुसूची एक में दर्शाये गये क्षेत्र को सम्मिलित करने के पश्चात, देवरी नगर परिषद की पुनरीक्षित सीमाएं निम्नानुसार होंगी:-

उत्तर दिशा :- तहसील सिलवानी की सीमा से मर्यादित।

पूर्व दिशा :- बेरखेड़ी, करहैयाकलों, खिरैंटी, सहजपुरी, सिमरिया, कुकरा, आलीवाडा, गहलावन, नूरजहांगंज ग्रामों की सीमाओं से मर्यादित।

दक्षिण दिशा :- कैकडा, थाला रिछावर, टिमरावन, नयाखेडा ग्रामों की सीमाओं से मर्यादित।

पश्चिम दिशा:- कुम्हडी, मुरपार, पिपलियाकलों, कोडा देवरी, बल्हारपुर ग्रामों की सीमाओं से मर्यादित।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
तरुण राठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 14 फरवरी 2022

क्र. एफ 1-25-2021-अठारह-3 - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड 3 के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 08 एफ 1-25-2021-अठारह-3, दिनांक 14 फरवरी 2022 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकरण से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
तरुण राठी, उपसचिव.

Bhopal, the 14<sup>th</sup> February 2022

Noti.No. 08 F-1-25-2021-XVIII-3.- In exercise of the powers conferred by Section 5(1)(b) of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), hereby pleased to include the areas of Village Panchayat mentioned in the below table is notified as Municipal Council Deori, Namely :-

**SCHEDULE- I**

Area included in the boundaries of Deori Municipal Council:

No	Disti.	Tehshil Name	Name of the Nagar Parishad	Name of the Gram Pachayat included for the formation of urban area	Included villages	Area (in Hec.)
1	2	3	4	5	6	7
01	Raisen	Deori	Deori	Deori	Deori	1714.543
					Anghori	
02				Bamohori Deori	Bamohori	487.176
					Rodha	188.604
					Karhaiya	176.01
					Mohod Paplai	444.946
					Badgawan kalan	142.546
03				Budhanwada	Budhanwada	658.876
					Aalhanpur	1074.8
04						
05	Dugariya	Dugariya Jagir	240.89			
		Bilgawan	172.262			
		Joonapani	218.518			
		Barkhedi	119.765			
	Unchakheda	385.118				

**SCHEDULE -II**

After including the area shown in Schedule-I, The revised Limits of Deori Municipal Council Will be as follows:-

- North direction** – Limited to the limit of the boundaries of, Silwani Tehsil.
- East direction** – Limited to the limit of the boundaries of Villages, Berkhedi, Karhaiyakalan, Khirenti, Sehjuri, Simriya, Kukra, Aaliwada, Gahlawan, Noorjanhaganj.
- South direction** - Limited to the limit of the boundaries of Villages, Kekda, Thala Richhawar, Timrawan, Nayakheda.
- West direction** – Limited to the limit of the boundaries of Villages, Kumhadi, Murapar, Pipaliyakalan, Koda Devri, Balharpur.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
TARUN RATHI, Dy. Secy.